



-प्रेस नोट-

दिनांक:29-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह,

चोरी का सामान व घटना में पिकअप बरामद

विवरण बरामदगी:-

- 01 तमन्चा/01जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 चाकू नाजायज
- 13 ड्रम तारकोल
- 03 बैटरे
- 02 जोड़ी पायल
- 01 जोड़ी चुटकी
- 04 अंगूठी
- 9,550/- रूपये नकद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.03.24 को को वादी श्री संदीप कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा 15 ड्रम तारकोल ठेकेदार साईट ग्राम सिरसकली कला से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर पर मु0अ0सं0 71/24 धारा 379 भादवि व दिनांक 18.03.24 को वादी श्री प्रशान्त शर्मा पुत्र ब्रजपाल शर्मा निवासी ग्राम रतनहेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की दुकान श्री कृष्णा मार्बल्स व टाईल्स का शटर तोडकर दुकान मे रखी LCD, DVR, इनवर्टर, बैटरे व 15000 रूपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 61/24 धारा 457/380 भादवि के पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1- संजय पुत्र जय सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम खटका हेडी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर व 2- तुय्यब पुत्र दिलशाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम घाटहेडा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर को चौकी मौरा के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमन्चा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 चाकू नाजायाज, 13 तारकोल से भरे ड्रम, 03 बैट्रे, 02 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी चुटकी, 9550/- रूपये व 04 अंगूठी बरामद । थाना बडगांव के उपरोक्त मुकदमों में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण संजय व तुय्यब उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हम ज्यादा पढे लिखे नहीं हैं और मजदूरी करते हैं। नशे के आदि हैं, मजदूरी के पैसे से नशे की पूर्ति नहीं हो पाती अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग आस पास के क्षेत्रों में घरों में व घरों के बाहर रखे सामान को चोरी कर उनको बेच देते थे तथा जो पैसे हिस्से में आते हैं उनसे अपने शौक पूरे करते थे। अभियुक्त संजय ने पूछने पर बताया कि दिनांक 20.03.24 को मैंने अपने साथी तुय्यब व अपने 02 अन्य साथियों के साथ ग्राम सिरसली कला से तारकोल से भरे ड्रमों की चोरी की थी। आगे पूछताछ पर अभियुक्त संजय ने बताया कि दिनांक 17/18.03.24 की रात्रि में मैं, तुय्यब व हमारे 02 अन्य साथियों ने बडगांव-रामपुर मनिहारान रोड पर एक मार्बल्स/टाईल्स की दुकान से शटर तोड़कर एलईडी, 15000 रुपये, इन्वर्टर बैटरे चोरी किये थे। बैटरे मेरे हिस्से में आये थे तथा 15000 रूपयों में से 5000/- रुपये तुय्यब के हिस्से में आये थे। 5-5 हजार रुपये, इन्वर्टर व एलईडी हमारे साथियों के हिस्से में आये थे तथा 04 अंगूठी व कुछ बर्तन चोरी हमने कस्बा रामपुर मनिहारान से चोरी किये थे वो हमने 3000 रुपये में बेच दिए थे जो खर्च हो गए एवं जो 3050 रुपये हमने मौहल्ला कायस्तान में एक स्कूल के सामने बने शिव मन्दिर से चोरी किये थे। जो 02 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी चुकटी व 1500 रुपये हमने कस्बा रामपुर मनिहारान के मौहल्ला पीरबनी में एक घर से चोरी किये थे और कुछ सोने के गहने हमने अंजान आदमी को 20 हजार रुपये में बेच दिए थे जो पैसे हमसे खर्च हो गए थे। आज जो सामान हमारे पास बचा है उसे हम लोग बेचने के लिए रूडकी जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. संजय पुत्र जय सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम खटका हेडी थाना रामपुर मनिहारान
2. तुय्यब पुत्र दिलशाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम घाटहेडा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

अभियुक्त संजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 341/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता
2. मु0अ0सं0 323/21 धारा 136/137 भा0वि0अधि0 थाना नानौता
3. मु0अ0सं0 47/24 धारा 380 भादवि थाना रामपुर मनिहारान
4. मु0अ0सं0 58/24 धारा 380 भादवि थाना रामपुर मनिहारान
5. मु0अ0सं0 60/24 धारा 380 भादवि थाना रामपुर मनिहारान
6. मु0अ0सं0 61/24 धारा 457/380 भादवि थाना बडगांव
7. मु0अ0सं0 71/24 धारा 379/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव

अभियुक्त तुय्यब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 341/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता
2. मु0अ0सं0 323/21 धारा 136/137 भा0वि0अधि0 थाना नानौता
3. मु0अ0सं0 47/24 धारा 380 भादवि थाना रामपुर मनिहारान
4. मु0अ0सं0 58/24 धारा 380 भादवि थाना रामपुर मनिहारान
5. मु0अ0सं0 60/24 धारा 380 भादवि थाना रामपुर मनिहारान
6. मु0अ0सं0 61/24 धारा 457/380 भादवि थाना बडगांव

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमन्चा/01जिन्दा कारतूस 315 बोर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 71/24 धारा 379 भादवि नानौता)
- 01 चाकू नाजायज (सम्बन्धित मु0अ0सं0 71/24 धारा 379 भादवि थाना नानौता)
- 13 ड्रम तारकोल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 71/24 धारा 379 भादवि थाना नानौता)
- 5000 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 61/24 धारा 457/380 भादवि थाना नानौता)
- 03 बैटरे (सम्बन्धित मु0अ0सं0 61/24 धारा 457/380 भादवि थाना नानौता)
- 02 जोड़ी पायल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 60/24 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0)
- 01 जोड़ी चुटकी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 60/24 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0)
- 1500 रु नकद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 60/24 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0)
- 3050/- रूपये नकद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 58/24 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0)
- 04 अंगूठी सफेद धातु (सम्बन्धित मु0अ0सं0 47/24 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ०नि० श्री भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2. है०का० 229 राज तोमर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. का० 2378 सन्नी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. हो०गा० 2077 सतीश थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी

तमंचा/ 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एव शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त सलमान पुत्र नासिर निवासी जैन कालीनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर को जैन कालोनी मुजफ्फरी मस्जिद के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 126/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सलमान उपरोक्त ने बताया कि लोगो को डराने धमकाने के लिए मैं अपने पास तमंचा रखता हूँ। यह तमंचा मैंने एक अन्जान आदमी से लिया था जिसका नाम व पता नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र नासिर निवासी जैन कालीनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 361/20 धारा 3,5,8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 364/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम कोतवाली मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 देशी तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. हे0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. हे0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
4. का0 1460 अंकित थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.3.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर **अभियुक्त आशीष पुत्र नौभार नि0 आनन्द विहार कालोनी निकट नेशनल इण्टर कालेज थाना सदर बाजार सहारनपुर** को भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 184/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट** के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि यह तमंचा मैं लोगो में डर फैलाने व अपना दबदबा बनाने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आशीष पुत्र नौभार नि0 आनन्द विहार कालोनी निकट नेशनल इण्टर कालेज थाना सदर बाजार सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

01 तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र आधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 215 सुमित थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. म0हे0का0 120 वीकू थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा /01 जिन्दा कारतूस 315 बोर , 02 नाजायज छुरे व 03 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर अभियुक्तगण 1. अनुज पुत्र राम कुमार निवासी म0नं0 288/289 ट्रांसपोर्ट नगर थाना टीपी नगर जिला मेरठ 2. अमजद पुत्र जमील निवासी ग्राम नाला थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर 3. अनस पुत्र मेहरबान निवासी बचीटी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को कलसिया रोड ग्राम माण्डूवाला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अनुज उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्तगण अमजद व अनस उपरोक्त के कब्जे से 02 नाजायज छुरे तथा 01 मारुति ब्रेजा कार (UP 15 DU 8209) बरामद हुये। बरामद कार को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 65/24 धारा 3/4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता –

1. अनुज पुत्र राम कुमार निवासी म0 नं0 288/289 ट्रांसपोर्ट नगर थाना टीपी नगर जिला मेरठ
2. अमजद पुत्र जमील निवासी ग्राम नाला थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर
3. अनस पुत्र मेहरबान निवासी बचीटी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोबाईल फोन (सैमसंग गैलेक्सी जैड फिलप 5) अभियुक्त अनुज उपरोक्त के कब्जे से।
- 01 नाजायज छुरा व 01 मोबाईल फोन (वीवो)- अभियुक्त अमजद के कब्जे से।
- 01 नाजायज छुरा व 01 मोबाईल फोन (वन प्लस)- अभियुक्त अनस के कब्जे से।
- 01 ब्रीजा कार UP 15 DU 8209 (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. का0 2439 सैफअली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.03.2024 को वाद सं० 2076/23 धारा 125(3) सीआरपीसी से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त आशु पुत्र मौ० सलीम निवासी 62 फुटा रोड हैदराबाद पैलेस के पीछे हाकमशाह कालोनी मौहम्मदी मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

आशु पुत्र मौ० सलीम निवासी 62 फुटा रोड हैदराबाद पैलेस के पीछे हाकमशाह कालोनी मौहम्मदी मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 854 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 205 विपिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला 01 शातिर अभियुक्त
गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर पूर्व अपराधी/एचएस अभियुक्त नीरज पुत्र ब्रजपाल निवासी चन्द्रविहार कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त नीरज उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 101/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त नीरज उपरोक्त ने बताया कि यह तमंचा मैं मौहल्ले एवं आस पास को लोगो को डराने धमकाने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नीरज पुत्र ब्रजपाल निवासी चन्द्रविहार कालोनी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

अभियुक्त नीरज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 190/01 धारा 307 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 191/01 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 390/01 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 130/06 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 134/06 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुशेर, सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 163/06 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 84/07 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 396/07 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 368/09 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 35/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 882 सचिन आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1105 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से

01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लहों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **जीशान पुत्र इनाम निवासी टोपिया सराय थाना मण्डी सहारनपुर** को कंबोह के पुल की पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर। पर **मु0अ0स0 125/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त जिशान उपरोक्त ने बताया कि कुछ महीनों पहले मैं शामिल गया था, वहा पर राह चलते एक व्यक्ति से यह तमंचा व कारतूस खरीदे थे। तमंचा दिखा कर मैं लोगों पर अपना रोब जमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जीशान पुत्र इनाम निवासी टोपिया सराय थाना मण्डी सहारनपुर।।

आपराधिक इतिहास -

- मु0अ0सं0 318/19 धारा 323,354,506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 344/11 धारा 380,411,454 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 345/11 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 242/12 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 251/14 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 4/23 धारा 420,406,467,471,120बी भादवि थाना कुतुबशेरसहारनपुर।
- मु0अ0सं0 6/23 धारा 420,406,467,471,120बी भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 81/23 धारा 420,406,467,471,120बी भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 87/23 धारा 420,406,467,471,120बी भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- ❖ 01 देशी तमंचा 315 बोर
- ❖ 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री ललित तोमर थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
2. कां0 2199 विष्णु चौधरी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
3. का0 609 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को मात्र दो घंटे में किया
गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2024 को वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर विपक्षी द्वारा वादी की पत्नी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 376 भादवि बनाम **मुर्शीद हाफिज पुत्र रशीद अंसारी निवासी मौलवी बडी मस्जिद भटपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त की त्वरीत गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर सम्बन्धित को आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **मुर्शीद हाफिज पुत्र रशीद अंसारी निवासी मौलवी बडी मस्जिद भटपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को ग्राम भटपुरा बडी मस्जिद थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुर्शीद हाफिज पुत्र रशीद अंसारी निवासी मौलवी बडी मस्जिद भटपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा /

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लहों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.3.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त **अक्षय पंडित पुत्र कृष्ण शर्मा उर्फ किशन निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर** को भूस की टाल इन्द्रा कालोनी के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त अक्षय पंडित उपरोक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 183/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ की गयी व तमंचा रखने का लाईसेन्स मांगा गया तो तमंचे का लाईसेंस दिखाने से कासिर रहा और बताया की यह तमंचा व कारतूस मैंने आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर से खरीदा है, जिसे मैं अपनी सुरक्षा व आस पडोस के लोग एवं अपने दोस्तों में रोब जमाने के लिये रखता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अक्षय पंडित पुत्र कृष्ण शर्मा उर्फ किशन नि0 इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 417/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार।
2. मु0अ0सं0 411/22 धारा 392/411 व 34 भादवि थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार।
3. मु0अ0सं0 116/22 धारा 147/148/149/364/323/504 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमंचा 315 बोर नाजायज
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1 उ0नि0 श्री राजीव गौड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 178 मंयक थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार, कब्जे से कुल 160 ग्राम चरस नाजायज बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों तस्करी की रोकथाम, इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर **गौरव उर्फ गोरी पुत्र आन्नद उर्फ काला निवासी सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को पीपल वाली मस्जिद से पिलखन की ओर खाली पड़े मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल **160 ग्राम चरस** नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 127/24 धारा 8/20 NDPS Act** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव उर्फ गोरी उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैंने यह चरस आने जाने वाले अन्जान ट्रक ड्राइवरो से खरीदी थी जिनका नाम पता मैं नहीं जानता। इस चरस को मैं आस पास के क्षेत्र में मंहगे दाम पर बेच देता हूँ, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव उर्फ गोरी पुत्र आन्नद उर्फ काला निवासी सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास –

- मु0अ0सं0 543/21 धारा 8/20 NDPS Act थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 086/20 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 160 ग्राम चरस नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
2. हे0का0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
3. कां0 978 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
4. का0 1803 राहुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त प्रदीप पुत्र रणजीत निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 2732/22 व मु0अ0सं0 60/21 धारा 307 भादवि चालानी थाना सरसावा में ग्राम कुतुबपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रदीप पुत्र रणजीत निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 60/21 धारा 392/411 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 61/21 धारा 307 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 64/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 83/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल - थाना सरसावा सहारनपुर
2. का0 1773 राहुल कुमार - थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 1960 टेक चन्द - थाना सरसावा सहारनपुर
4. का0 2504 रवि पिप्पल - थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 220 ग्राम चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त जावेद पुत्र अल्लादिया निवासी मौ० पीर वाली गली नं० 16 थाना मण्डी सहारनपुर को** उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 220 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 128/24 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जावेद पुत्र अल्लादिया निवासी मौ० पीर वाली गली नं० 16 थाना मण्डी सहारनपुर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 132/2018 धारा 147, 148, 160,323,504,506 भा०वि० थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 535/2019 धारा 399/402 भा०द०वि० थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 536/2019 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 51/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
5. मु०अ०सं० 272/22 धारा 392/411 भा०द०वि० थाना कुतुबशेर सहारनपुर
6. मु०अ०सं० 290/22 धारा 392/411 भा०द०वि० थाना कुतुबशेर सहारनपुर
7. मु०अ०सं० 47/23 धारा 392,411,465,420,120बी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
8. मु०अ०सं० 393/23 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 220 ग्राम चरस नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० प्रमोद कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. हे०का० 663 बालेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. है०का० 157 संदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
4. का० 1802 बिटटु कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



दिनांक: 29-03-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा जिलाबदर घोषित 03 अभियुक्तों के घर पर नोटिस चरपा कर मुनादी करायी गयी व जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए किया गया निष्कासित

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत कानून एव शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। मा० न्यायालय अपर जिला मैजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर के आदेश दिनांक 21.03.2024 को 03 अपराधियों को जिला बदर घोषित कर 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया गया था। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस द्वारा जिला बदर घोषित 03 अभियुक्तगण 1- अर्से आलम पुत्र जाबिर निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 5212/2023 अंतर्गत धारा 3(1) अधिनियम उ०प्र० गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970, 2- मुस्तफा उर्फ पप्पू पुत्र वहीद निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 5119/2023 अंतर्गत धारा 3(1) अधिनियम उ०प्र० गुंडा नियंत्रण अधिनियम व 3- मीर अहमद उर्फ मीरू पुत्र सगीर निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 5236/23 अंतर्गत धारा 3(1) अधिनियम उ०प्र० गुंडा नियंत्रण अधिनियम में अभियुक्त गण के घरों पर जिलाबदर की कार्यवाही से सम्बन्धित आदेश चरपा किया गया तथा ढोल बजा कर मुनादी करायी गयी तथा जिला बदर 03 अभियुक्तों को 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया गया।

जिला बदर अभियुक्तगण के नाम व पते -

- 1- अर्से आलम पुत्र जाबिर निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 2- मुस्तफा उर्फ पप्पू पुत्र वहीद निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला स०पुर
- 3- मीर अहमद उर्फ मीरू पुत्र सगीर निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला स०पुर

अभियुक्त अर्से आलम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०स००६८/२२ धारा ३०७ भादवि थाना बडगाँव
- 2- मु०अ०स० ६९/२२ धारा ३/५ए/८ सीएस एक्ट थाना बडगाँव
- 3- मु०अ०स००७२/२२ धारा ३/२५ शस्त्र अधि थाना बडगाँव
- 4- मु०अ०स० २१९/२२ धारा धारा २/३ गैगस्टर एक्ट

अभियुक्त मुस्तफा उर्फ पप्पू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०स००६८/२२ धारा ३०७ भादवि थाना बडगाँव
- 2- मु०अ०स० ६९/२२ धारा ३/५ए/८ सीएस एक्ट थाना बडगाँव
- 3- मु०अ०स० ७३/२२ धारा ४/२५ शस्त्र अधि थाना बडगाँव
- 4- मु०अ०स० २१९/२२ धारा धारा २/३ गैगस्टर एक्ट

अभियुक्त मीर अहमद उर्फ मीरू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु०अ०स० ६९/१८ धारा ३/५/८ गौवध अधि थाना बडगाँव
- 2- मु०अ०स० ६८/२२ धारा ३०७ भादवि थाना बडगाँव
- 3- मु०अ०स० ६९/२२ धारा ३/५ए/८ सीएस एक्ट थाना बडगाँव
- 4- मु०अ०स००२१९/२२ धारा धारा २/३ गैगस्टर एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा थाना बडगाँव जिला स०पुर
- 2- उ०नि० श्री बनवारी लाल थाना बडगाँव जिला स०पुर
- 3- हे०का० २२९ राज तोमर थाना बडगाँव जिला स०पुर
- 4- हो०गा० २०६९ विनोद थाना बडगाँव जिला स०पुर